

**उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर**

**// आदेश //**

क्रमांक B/2067 /

जबलपुर, दिनांक 24/06 /2020

II-13-48/12

श्री हरिकृष्ण कुशवाहा, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर को हाथ में फैंक्चर हो जाने के कारण दिनांक 09.12.2019 से 02.03.2020 तक 85 दिन का अर्जित अवकाश एवं मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

सही/-  
(प्रियदर्शन शर्मा)  
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक B/2068 /

जबलपुर, दिनांक 24/06 /2020

II-13-48/12

**प्रतिलिपि :-**

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (मोप्र0) की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 2251/स्थापना ग्वालियर, दिनांक 23/05/2020 के संदर्भ में श्री हरिकृष्ण कुशवाहा, कोर्ट अटेंडेन्ट का निर्धारित प्रपत्र, आवेदन पत्र, 5 अनफिट प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र मूलतः तथा चिकित्सा पेपर्स एवं अवकाश लेखा की छायाप्रति वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

2. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु
4. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(किशोर पिठवे)  
ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम) (पी)

\*\*\*\*\*